भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1477

जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खनन से आय

1477. श्री खीरू महतो:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कम्पनियां कौन-कौन से राज्य में कोयला खनन कर रही हैं और वहां डी.एम.एफ.टी. के तहत कोयला खनन से किस राज्य को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) राज्यों का जिला-वार आंकड़ा क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन क्षेत्रों में कितनी धनराशि व्यय की जा रही है या व्यय की गई है, वर्ष 2022-23 का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों से, उन राज्यों से जिनमें वे पिछले दो वित्तीय वर्षों से कार्यरत हैं, से जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत कोयला खनन से होने वाली राज्य-वार आय नीचे सारणी में दी गई है -

सीआईएल द्वारा राज्यों को डीएमएफ (करोड रु. में)

राज्यों के नाम	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
मध्य प्रदेश	853.62	779.97
छत्तीसगढ़	874.25	804.76
पश्चिम बंगाल	4.90	4.89
झारखंड	1,308.13	1,120.57

महाराष्ट्र	661.80	554.22
उत्तर प्रदेश	180.34	177.42
ओडिशा	929.85	1,086.25
असम	4.82	7.38

(ख) : कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) से संबंधित जिला-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा जिला-वार डीएमएफ का भुगतान			
			(करोड़ रु. में)
राज्य का नाम	**जिले का नाम**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2022-23**
असम	तिनसुकिया	4.82	7.38
छत्तीसगढ़	कोरबा	694.58	583.06
छत्तीसगढ़	रायगढ़	75.30	112.86
छत्तीसगढ़	सूरजपुर	48.48	52.57
छत्तीसगढ़	कोरिया	52.97	56.27
छत्तीसगढ़	बलरामपुर	1.93	-
छत्तीसगढ़	सरगुजा	0.99	-
झारखंड	देवघर	35.26	23.00
झारखंड	गोड्डा	76.46	41.52
झारखंड	धनबाद	552.54	423.34
झारखंड	बोकारो	157.04	154.66
झारखंड	चतरा	203.70	212.29
झारखंड	रामगढ़	84.11	101.52
झारखंड	गिरिडीह	2.95	0.81
झारखंड	लातेहार	96.51	78.57
झारखंड	हजारीबाग	85.70	65.05
झारखंड	रांची	13.86	19.81
मध्य प्रदेश	सिंगरौली	706.29	646.14
मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	11.23	19.19
मध्य प्रदेश	बैतूल	16.90	12.89

मध्य प्रदेश	अनूपपुर	48.32	36.05
मध्य प्रदेश	शहडोल	58.12	54.73
मध्य प्रदेश	उमरिया	12.76	10.97
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	274.67	238.45
महाराष्ट्र	यवतमाल	181.97	143.88
महाराष्ट्र	नागपुर	205.16	171.89
ओडिशा	अंगुल	521.98	630.03
ओडिशा	झारसुगुडा	179.41	202.99
ओडिशा	सुंदरगढ़	228.46	253.23
उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	180.34	177.42
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	4.88	4.89
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	0.01	-
पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	0.01	-

(ग) : खान मंत्रालय ने सितंबर 2015 में राज्यों को आदेश जारी किया कि वे राज्यों द्वारा डीएमएफ के लिए बनाए गए नियमों में "प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)" को शामिल करें। इसके अलावा, जनवरी 2024 में, खान मंत्रालय ने सितंबर 2015 के पहले आदेश के अधिक्रमण में डीएमएफ के लिए बनाए गए नियमों में "संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)" को शामिल करने का आदेश जारी किया है। डीएमएफ निधि का व्यय पीएमकेकेकेवाई में उल्लिखित क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है।

****